भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1446

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा पर अतिक्रमण

1446. श्री शैलेश कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों द्वारा सीमा पर अतिक्रमण करने की सूचनाएं प्राप्त हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमणों को हटाने और मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): भारत-बांग्लादेश, भारत-म्यांमार और भारत-भूटान सीमाओं पर विदेशी राष्ट्रों द्वारा भू-भाग पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, हालांकि भारत-बांग्लादेश सीमा के मामले में, भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ ऐसे पॉकेट्स रहे हैं, जिनमें किसी एक देश के व्यक्ति का कब्जा पारम्परिक रूप से दूसरे देश के भू-भाग पर रहा है। इन्हें "प्रतिकूल कब्जा" के रूप में जाना जाता है। भारत-नेपाल सीमा एक मुक्त सीमा है, जहां दोनों देशों के नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी गई है। तथापि, पाकिस्तान ने वर्ष 1948 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. भारतीय भू-भाग पर अवैध और बलपूर्वक कब्जा बनाया हुआ है। वर्ष 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान ''सीमा समझौता" के तहत पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5,180 वर्ग कि.मी. भारतीय भू-भाग को चीन के हवाले कर दिया। जहां तक भारत-चीन सीमा का संबंध है भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई साझा रूप से सीमांकित वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। समय-समय पर, नियंत्रण रेखा की अवधारणा में अंतर होने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं जिनसे बचा जा सकता था, यदि नियंत्रण रेखा की एक साझा अवधारणा अस्तित्व में होती।

(ग): जहां तक भारत-बांग्लादेश सीमा का संबंध है, प्रधानमंत्री के सितम्बर, 2011 में बांग्लादेश के राजकीय दौरे के दौरान, "भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा के सीमांकन और अन्य मामलों से संबंधित भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच समझौते के एक प्रोटोकॉल" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिकूल कब्जे वाले भू-भागों सहित लंबे समय से बकाया भू-सीमा के मामलों का निपटान हो सका। भारत- बांग्लादेश भू-सीमा समझौता 1974 और इसके वर्ष 2011 के प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करने के लिए संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, दिसम्बर, 2013 में राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है। जहां तक भारत-पाकिस्तान सीमा का संबंध है, भारत वर्ष 1972 के शिमला समझौते के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान में बलपूर्वक एवं अवैध कब्जे के मुद्दे सहित पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मामलों को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार निरंतर सतर्क रहती है और भारत की सुरक्षा और भू-भागीय अखंडता को प्रभावी तरीके से सुरक्षित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़-संकल्प है। जहां तक भारत-चीन सीमा का संबंध है, सरकार, नियंत्रण रेखा पर होने वाले किसी भी अतिक्रमण के मुद्दे को सीमा कार्मिकों की बैठकों, फ्लैग मीटिंग, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय संबंधी कार्यकारी तंत्र की बैठकों और राजनयिक चैनलों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ निरंतर उठाती है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सीमा पर शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल भारत-चीन संबंधों के सतत विस्तार का आधार है। जहां तक भारत-नेपाल सीमा का संबंध है, भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त तकनीकी समिति के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से सीमा के सीमांकन का कार्य आरंभ किया है। भारत-नेपाल सीमा पर यह कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है। दोनों पक्ष, अभिहित सेक्टरों में सीमा स्तम्भों के रख-रखाव तथा शेष सेक्टरों में भारत-नेपाल सीमा की पहचान हेतु एक सीमा कार्यकारी समूह के गठन पर भी सहमत हो गए हैं।

*****